मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2390
04.08.2025 को उत्तर के लिए

एक राष्ट्र, एक मिशनः प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें

2390. श्री मुकेश राजपूतः
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री जयन्त बसुमतारीः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री विवेक ठाकुरः
श्री महेश कश्यपः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "एक राष्ट्र, एक मिशनः प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें" पहल के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ख) उक्त पहल के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इनकी प्राप्ति की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार की सभी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल को अनिवार्य बनाने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देश लागू होने के बाद से अब तक प्लास्टिक प्रतिबंध और पुनर्चक्रण संबंधी प्रयासों का क्या मापनीय प्रभाव पड़ा है; और
(ङ) क्या गैर-अनुपालन के लिए कोई दंडात्मक तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले एक महीने तक चलने वाली

अभियान पूर्व कार्यकलापों के तहत, देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम में 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उद्योग जगत, नागरिक समाज, छात्रों और राज्यों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2025) के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के तहत बरगद के पौधे के रोपण के साथ एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। यह पौधा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के एक भाग के रूप में लगाया गया, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में पुनः वनरोपण करना है। उन्होंने दिल्ली सरकार की संधारणीय परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ शहरी यातायात को बढ़ावा देती हैं और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक ज़िम्मेदारी का प्रतीक हैं।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) भी दिनांक 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया, जिसमें कई योजनाबद्ध कार्यकलाप शामिल हैं। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत टाइगर रिजर्व और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कार्यकलाप शामिल हैं। इन कार्यकलापों में विशेष अभियान 5.0 के दौरान सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय विकल्पों पर एक हैकथॉन और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के विषय पर कविता लेखन, नारा लेखन और स्किट (नुक्कड़ नाटक) जैसी रचनात्मक प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को शामिल करना अभियान का हिस्सा है।

(ग): दिनांक 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायत प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे, जो क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक रिपोर्टों का अनिवार्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, बहु-चरणीय प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग से हटकर एक परिवर्तनकारी कदम है। राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल दिनांक 5 जून 2025 को लॉन्च किया गया था।

(घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया था, जिसके तहत अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा फैलाने की संभावना अधिक है, को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया था। देशभर में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,61,740 निरीक्षण किए

गए हैं और 1985 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया गया है और कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध से नवीन पर्यावरण-विकल्पों के विकास को बढ़ावा मिला है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों ने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरणीय अनुकूल-विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संग्रह" तैयार किया है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर लॉन्च किया गया। इस संग्रह में देश भर में फैली लगभग 1000 इकाइयों का विवरण दिया गया है। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले ही कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक आईएस 18267 अधिसूचित कर दिया था।

प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के अनुसार, 51838 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक तथा 2948 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पोर्टल पर पंजीकृत हैं। दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद से, लगभग 157 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

(ङ): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का एक अलग प्रावधान है। सीपीसीबी ने अगस्त, 2024 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों द्वारा उल्लंघन पर कार्रवाई भी की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और कानून के अनुसार जुर्माना लगाना शामिल है।

*****